रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2013/वैशाख 12, 1935
No. 213] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2013/VAISAKHA 12, 1935

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 2013

सा.का.नि. 280(अ).–केंद्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड (4) के अनुसरण में क्रमशः भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 22 नवम्बर, 1999, और तारीख 29 दिसम्बर, 1999 में सा.का.नि. 782, तारीख 22 नवम्बर, 1999 और सा.का.नि. 832(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1999 को सिवाय ऐसी समाप्ति से पूर्व की गई या करने से लोप की गई चीजों के तुरंत प्रभाव से विखंडित करती है ।

[फा.सं.15-9/ 2013-एसपी. I]

टी. जैकब, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 2013

G.S.R. 280(E).–In pursuance of clause 4 of the Sugar (Control) Order, 1966 , the Central Government hereby rescinds the Orders published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 22nd November, 1999 and the 29th December, 1999 *vide* G.S.R. 782, dated the 22nd November, 1999 and G.S.R. 832(E), dated the 29th December, 1999, respectively, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, with immediate effect.

[F.No.15-9/2013-SP.I]

T. JACOB, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 2013

सा.का.नि. **281**(अ).–केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में तारीख 25 नवम्बर 2011 को सा.का.नि. 836(अ), तारीख 25 नवम्बर 2011 द्वारा प्रकाशित आदेश को 1 अक्तूबर, 2012 से उत्पादित चीनी के संबंध में तुरंत प्रभाव से विखंडित करती है ।

[फा.सं.15-9/ 2013-एसपी.I]

टी. जैकब, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 2013

G.S.R. 281(E).–In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the order published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 25th November, 2011, *vide* G.S.R. 836(E), dated the 25th November, 2011 in respect of sugar produced from the 1st day of October, 2012, with immediate effect.

[F.No.15-9/2013-SP.I]

T. JACOB, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 2013

सा.का.नि. 282(अ).–केंद्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण आदेश) 1966 के खंड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II,, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 4 जून, 1979 में भारत सरकार के तत्कालीन कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के सा.का.नि. 345(अ) आव.वस्तु/शर्करा, तारीख 4 जून, 1979 द्वारा प्रकाशित आदेश को, उन बातों के सिवाय, जो ऐसे विखंडन के पूर्व की गई थी या जिन्हें करने का लोप किया गया था, तुरंत प्रभाव से विखंडित करती है ।

[फा.सं.15-9/ 2013-एसपी.I]

टी. जैकब, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 2013

G.S.R. 282(E).–In exercise of the powers conferred by clause 4 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby rescinds the Order published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th June, 1979, vide **G.S.R. 345(E) Ess.Com./Sugar, dated the 4th June, 1979 of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food),** except as respects things done or omitted to be done before such rescission, with immediate effect.

[F.No.15-9/2013-SP. I]

T. JACOB, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 638] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2011/अग्रहायण 4, 1933

No. 638] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2011/AGRAHAYANA 4, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 836(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि चीनी का प्रत्येक देशी उत्पादक उत्पादित चीनी का 10 प्रतिशत 1 अक्तूबर, 2011 से अगले आदेशों तक केन्द्रीय सरकार को या लेवी चीनी (नियंत्रण) प्रदाय आदेश, 1979 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार विक्रय करेगा ।

[फा. सं. 2-5/2011-एसपीवाई (एसपी-I)]

अधीर झा, निदेशक (एसडीएफ)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 25th November, 2011

G.S.R. 836(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (f) of sub-section (2) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that every domestic producer of suger shall sell ten per cent of sugar produced with effect from the 1st day of October, 2011and till further orders, to the Central Government or as directed by the Central Government under the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979.

[F. No. 2-5/2011-SPY (SP-I)]

ADHIR JHA, Director (SDF)

Attested

Asstt. Controller (Admn.)
Deptt. of Publication
Civil Lines, Delhi-54

4324 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

भारत सरकार मुद्रणालय.................. ...
से दिनांक....................को प्राप्त।

14.1.2000

प्रभारी
राजपत्र वितरण एकक

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 1999/पौष 8, 1921
No. 622] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 1999/PAUSA 8, 1921

P.O. 375
K.M. 30
Deptt. 25
C.P.B. 320
Paid
पूरा किया

प्रभारी
रा० वि० एकक

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(शर्करा और खाद्य तेल विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1999

सा.का.नि. 832(अ).— आ0व0/चीनीः केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 4 के अनुसरण में तथा भारत सरकार, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (शर्करा और खाद्य तेल विभाग) के आदेश संख्या सा0का0नि0 782(ई0)/आ0व0/चीनी, दिनांक 22 नवम्बर, 1999 के क्रम में एतद्द्वारा निदेश देती है कि कोई भी चीनी आयातक तब तक आयातित चीनी की बिक्री नहीं करेगा अथवा बिक्री के लिए सहमत नहीं होगा अथवा अन्यथा उसका निपटान नहीं करेगा या उसकी सुपुर्दगी नहीं करेगा अथवा सुपुर्दगी के लिए सहमत नहीं होगा अथवा डिस्चार्ज पोर्ट से या आयातकों के भांडागारों से आयातित चीनी नहीं हटाएगा, जब तक उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में जारी किए गए निदेश के अधीन और उसका अनुसरण करने के लिए निदेश न दिया जाए।

2. यह आदेश भारत सरकार भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के भारत में उत्पादित चीनी के संबंध में जारी किए गए आदेश संख्या सा0का0नि0 345(ई0)/आ0व0/चीनी, दिनांक 4 जून, 1979, जो लागू है, के साथ बरकरार रहेगा।।

[फा. सं. 1-17/98-एस. पी. वाई. (डी-2)]

आर. एन. दास, संयुक्त सचिव

3792 GI/99

Attested

Asstt. Controller (Admn.)
Deptt. of Publication
Civil Lines, Delhi-54

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Sugar and Edible Oils)

ORDER

New Delhi, the 29th December, 1999

G.S.R. 832(E).— /Ess.Com./Sugar. —In pursuance of Clause 4 of the Sugar (Control) Order, 1966, and in continuation of the Order of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution (Department of Sugar & Edible Oils) number GSR 782(E)/Ess.Com./Sugar, dated the 22nd November, 1999, the Central Government hereby directs that no importer of sugar shall sell or agree to sell or otherwise dispose of or deliver or agree to deliver imported sugar or remove imported sugar from the port of discharge or from the warehouses of the importers, except under and in accordance with the directions issued in writing by the Central Government.

2. This order shall continue along with the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Food) number GSR 345(E)/Ess.Com./Sugar, dated the 4th June, 1979 issued in respect of sugar produced in India and which is in vogue.

[F. No.1-17/98-SPY. (D-II)]

R. N. DAS, Jt. Secy.

Attested

6/5/13

Asstt. Controller (Admn.)
Deptt. of Publication
Civil Lines, Delhi-54

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999

प्रभारी 2.12.99
राजपत्र वितरण एकक

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O. 375
K.M. 30
Deptt. 25
C.P.B. 380

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 22, 1999/अग्रहायण 1, 1921

No. 577] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 22, 1999/AGRAHAYANA 1, 1921

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(शर्करा और खाद्य तेल विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1999

सा.का.नि. 782(ई.)/आ.व./चीनी.—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश देती है कि कोई भी चीनी आयातक तब तक आयातित चीनी की बिक्री नहीं करेगा अथवा बिक्री के लिए सहमत नहीं होगा अथवा अन्यथा उसका निपटान नहीं करेगा या उसकी सुपुर्दगी नहीं करेगा अथवा सुपुर्दगी के लिए सहमत नहीं होगा अथवा उन गोदामों से आयातित चीनी नहीं हटाएगा जिनमें इसका भंडारण किया गया है, जब तक उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में जारी किए गए निदेश के अधीन और उसका अनुसरण करने के लिए निदेश न दिया जाए।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

[फा. सं. 1-17/98-एस.पी.वाई.(डी-2)]

आर. एन. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Sugar and Edible Oils)

ORDER

New Delhi, the 22nd November, 1999

G.S.R. 782(E)Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of the Sugar (control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that no importer of sugar shall sell or agree to sell or otherwise dispose of or deliver or agree to deliver imported sugar or remove imported sugar from the godowns in which it is stored except under and in accordance with the direction that may be issued in writing by the Central Government.

2. This Order shall come into force with immediate effect.

[F. No.1-17/98-SPY(D.II)]

R. N. DAS, Jt. Secy.

Attested 10/5/11

Asstt. Controller (Admn.)
Deptt. of Publication
Civil Lines, Delhi-54

3421 GI/99

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED NO. D (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170] नई दिल्ली, सोमवार, जून 4, 1979/ज्येष्ठ 14, 1901

No. 170] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 4, 1979/JYAISTHA 14, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 4 जून, 1979

आदेश

सा. का. नि. 345 (अ).—आव. वस्तु/शर्करा.—केन्द्रीय सरकार, शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि निर्वात कड़ाह प्रक्रिया द्वारा शर्करा का उत्पादन करने वाला कोई भी उत्पादक केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए लिखित निदेश के अधीन और उनके अनुसार ही शर्करा का विक्रय या विक्रय करने का करार या उसका अन्यथा व्ययन या परिदान या परिदान करने का करार करेगा या ऐसे कारखाने के, जिसमें उसका उत्पादन होता है, बंध पत्रित गोदामों से शर्करा को हटाएगा, अन्यथा नहीं।

Attested

Asstt. Controller (Admn.)
Deptt. of Publication
Civil Lines, Delhi-54